(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

**सार्वजनिक सूचना सं०–24 /2015–2020**

नई दिल्ली, दिनांकः 1 सितम्बर,2017

विषयः– परिशिष्ट 2 ग (जीएसपी प्रमाणन जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियां) और 2 ड. (उदगम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची) के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को सूची में शामिल करने के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा परिशिष्ट –2 ग और 2 ड. के तहत जीएसपी प्रमाण पत्र और उदगम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु निम्नलिखित एजेंसी को प्राधिकृत करते हैं:

मैसर्स कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
तीसरी मंजिल, एनसीयूआई भवन

3, इंस्टीटयूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग
(एशियाड गांव के सामने)
नई दिल्ली–110016
दूरभाष सं० 011–26513204; 26513219; 26514052
फैक्स सं० 011–26534870
ई मेल : headq@apeda.gov.in

2. तदनुसार, विदेश व्यापार नीति 2015–20 के आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट–2 ग (जीएसपी प्रमाणन जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों) की क्रम सं० 17 और परिशिष्ट –2ड. (उदगम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची) की क्रम सं० 15 (दिल्ली) पर उपर्युक्त एजेंसी के नाम को जोड़ा जाता है।

**3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**

जीएसपी प्रमाण पत्र और उदगम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के परिशिष्ट –2 ग तथा परिशिष्ट 2 ड. के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को सूची में शामिल किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक ,विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा. सं० 01/93/180/52/एएम–16/ पीसी–2(ख) से जारी)